न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 80/2016 तारीख रजू:–27.07.2016

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र नारायण जाट निवासी पार्वती नगर, पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र कालू मीना, निवासी पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. सुरेश पुत्र रामलाल मीना, निवासी पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. कैलाश पुत्र रामलाल मीना, निवासी पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर

–प्रतिवादीगण

उपस्थित::–

वकील वादी:–श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

वकील प्रतिवादीगण– 1 लगायत 3 के का जवाब बंद।

निर्णय दिनांक:–07.11.2024

दावा बेदखली अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

1. वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ग्राम पार्वती नगर, पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा का रहने वाला है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 पीपल्या के रहने वाले व्यक्ति है, जो कि जाति से मीना है। वादी एवं उसके परिवार के रामेश्वर, गंगाशंकर, आशा, सायर, सोनी, किशू उर्फ पूजा, गुलाब देवी, रसाल देवी, विष्णु, शिव प्रसाद की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1613/1969 रकबा 1.20 है0, खसरा नंबर 1615 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 1616 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 1617 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 1618 रकबा 0.10 है0, खसरा [illegible] रकबा 2.60 है0, खसरा नंबर 1631 रकबा 0.97 है0, खसरा नंबर 1634 रकबा [illegible] है0, खसरा नंबर 1635 रकबा 2.13 है0 खसरा नंबर 1637/1968 रकबा 0.70 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 8.98 है0 ग्राम पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है, जिसका सभी ने आपस में मिलकर मौके पर बंटवारा कर रखा है, और मुताबिक बंटवारे के सभी संयुक्त खातेदार अपनी–अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि पर अपने हिस्से अनुसार काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.11.13 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

चले आ रहे है। मुताबिक बंटवारे के खसरा नंबर 1615 रकबा 0.31 है0, जो वादी के हिस्से में आया है, पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1615 रकबा 0.31 है0 में वादी की कमजोरी का फायदा उठाकर दिनांक 28.04.2016 व 29.04.2016 को बोरिंग लगा लिया और जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण वादी को यह दावा लाना लाजमी हुआ। अतः दावा इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को ग्राम पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित खसरा नंबर 1615 रकबा 0.31 है0, जो वादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल किया जाये एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के खिलाफ वादी की खातेदारी भूमि में विवादित आराजी पर कब्जा बनाये रखने तक प्रति बीघा प्रति फसल 50,000/– रूपये वादी को दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. यह है कि प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने के कारण दिनांक 17.01.2018 को उनका जवाब बंद कर दिया गया।

4. यह है कि वादी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये है–

- **पी0डब्ल्यू0–1:–गोपाल पुत्र नारायण जाट, निवासी पार्वती नगर, पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
- **पी0डब्ल्यू0–2:–विष्णु पुत्र रामलाल जाट, निवासी पार्वती नगर, पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, लाखनपुर, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।**
- **प्रदर्श–1:– जमाबंदी संवत् 2071–74**

5. बहस वकील वादी सुनी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

6. हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2071–74 (प्रदर्श–1) वाके ग्राम पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खाता संख्या [illegible] वादी विवादित आराजी खसरा नंबर 1615 रकबा 0.31 [illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य **पी0डब्ल्यू0–1** [illegible] पार्वती नगर, पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर और [illegible]**डब्ल्यू0–2** विष्णु पुत्र रामलाल जाट, निवासी पार्वती नगर, पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाडा, लाखनपुर, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर के अनुसार उक्त विवादित खसरा नंबर 1615

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.11.13 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

सहखातेदारों के मध्य मौके पर हो रखे बँटवारे के अनुसार वादी के हिस्से में है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा 2016 में बोरिंग कर उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 1615 की जमाबंदी संवत् 2071–74 (प्रदर्श–1) से स्पष्ट है कि प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कोई विधिक अधिकार नहीं है एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर अतिक्रमी है, जिन्हे बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं पार्वती नगर, ग्राम पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित वादी की सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1615 रकबा 0.31 है0 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को उक्त खसरा नंबर 1615 रकबा 0.31 है0 से बेदखल कर वादी को कब्जा संभलावें। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.11.13 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested